



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 जनवरी 2026—पौष 23, शक 1947

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2026

क्रमांक 1/1/34/0002/2025-B-4-02(HOM), भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1993 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :-

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्रह (पुलिस) विभाग	मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवाएं	वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी विज्ञान)	मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यथा विहित	मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यथा विहित	1. स्नातकोत्तर – भौतिक विज्ञान या फॉरेंसिक साइंस में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ एम.एस.सी. उपाधि। 2. स्नातक के लिए निम्नलिखित (अ) और (ब) दोनों अनिवार्य है :- (अ) भौतिक विज्ञान या फॉरेंसिक भौतिक विज्ञान या फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स में से कोई एक विषय होना अनिवार्य है; और (ब) रसायन विज्ञान या फॉरेंसिक रसायन विज्ञान में से कोई एक विषय होना अनिवार्य है।
		वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन विज्ञान)	तदेव	तदेव	1. स्नातकोत्तर – रसायन विज्ञान या फॉरेंसिक साइंस में द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी. उपाधि। 2. स्नातक – रसायन विज्ञान या फॉरेंसिक रसायन विज्ञान या फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में से कोई एक विषय होना अनिवार्य है।
		वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान)	तदेव	तदेव	1. स्नातकोत्तर – वनस्पति विज्ञान या जन्तु (प्राणी) विज्ञान या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोसाइंस या लाइफ साइंस या फॉरेंसिक विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी. उपाधि, 2. स्नातक हेतु निम्नलिखित (अ) और (ब) दोनों अनिवार्य है :- (अ) वनस्पति विज्ञान या जन्तु (प्राणी) विज्ञान या बायोसाइंस या लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या फॉरेंसिक बायोलॉजी में से कोई एक विषय होना चाहिए। (ब) रसायन विज्ञान या बायोकेमिस्ट्री फॉरेंसिक केमिस्ट्री में से कोई एक विषय होना चाहिए।

No. 1/1/34/0002/2025-B-4-02(HOM), In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Forensic Science Laboratory (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1993, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, in Schedules-III, the following Schedule shall be substituted, namely :-

" SCHEDULE-III" (see rule 8)

Department (1)	Name of Service (2)	Name of the Post (3)	Minimum age limit (4)	Maximum age limit (5)	Prescribed educational qualification (6)
Home (Police) Department	Madhya Pradesh Forensic Science Laboratory (Gazetted) Services	Scientific Officer (Physics)	As prescribed by the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh	As prescribed by the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh	1. Postgraduate – M.Sc. Degree with minimum second division in Physics or Forensic Science. 2. For Undergraduate following (A) and (B) both are essential :- (A) Physics or Forensic Physics or Forensic Ballistics must be one of the subjects; and (B) Chemistry or Forensic Chemistry must be one of the subjects.
		Scientific Officer (Chemistry)	---do---	---do---	1. Postgraduate - M.Sc. Degree in second division in Chemistry or Forensic Science. 2. Undergraduate – Chemistry or Forensic Chemistry or Forensic Toxicology must be one of the subjects.
		Scientific Officer (Biology)	---do---	---do---	1. Postgraduate – M.Sc. Degree with minimum second division in Botany or Zoology or Biochemistry or
					Microbiology or Biotechnology or Forensic Biotechnology or Genetics or Molecular Biology or Bioscience or Life Science or Forensic Science. 2. For Undergraduate following (A) and (B) both are essential :- (A) Botany or Zoology or Bioscience or Life Science or Biotechnology or Microbiology or Forensic Biology must be one of the subjects; and (B) Chemistry or Biochemistry or Forensic Chemistry must be one of the subjects."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अभिषेक सिंह, सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2026

क्रमांक 1/1/34/0002/2025-B-4-02(HOM), भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1991 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-तीन में, पद प्रयोगशाला तकनीशियन तथा प्रयोगशाला सहायक एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पद एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"ग्रह (पुलिस) विभाग	मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (अराजपत्रित)	प्रयोगशाला तकनीशियन	मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यथा विहित	मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यथा विहित	विज्ञान या फॉरेंसिक साइंस या कम्प्यूटर साइंस या कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक उपाधि	---
ग्रह (पुलिस) विभाग	मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (अराजपत्रित) सेवाएं	प्रयोगशाला सहायक	तदैव	तदैव	विज्ञान विषय के साथ 12 वीं कक्षा (10+2) की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है	1"

No. 1/1/34/0002/2025-B-4-02(HOM), In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Forensic Science Laboratory (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 1991, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, in Schedules-III, for the posts of Laboratory Technician and Laboratory Assistant and entries relating thereto the following posts and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

" SCHEDULE-III "

(see rule 8)

Name of the Department	Name of Service	Name of the Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed educational qualification	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Home (Police) Department	Madhya Pradesh Forensic Science Laboratory (Non-Gazetted) Services	Laboratory Technician	As prescribed by the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh	As prescribed by the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh	Bachelor's Degree in Science or Forensic Science or Computer Science or Computer Application	---
Home (Police) Department	Madhya Pradesh Forensic Science Laboratory (Non-Gazetted) Services	Laboratory Assistant	---do---	---do---	Must have passed 12 th Standard (10+2) examination with Science subject	---

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अभिषेक सिंह, सचिव.